हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

१२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद-३

की

नियमावली

[इन्दौर (२००२) एवं अमृतसर (२००३) अधिवेशन
में स्वीकृत संशोधन के अनुसार]

IndiaCode

संवत् २०६० वि० : सन् २००३ ई०

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

१२ सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद

की

संशोधित नियमावली

नियम

१. संस्था का नाम : हिन्दी साहित्य सम्मेलन।

२. संस्था का पूरा पता : प्रधान कार्यालय–सम्मेलन भवन, १२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद।

३. संस्था का कार्य-क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।

४. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सब अंगों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना।

(ख) देशव्यापी व्यवहारों और कार्यों को सुलभ करने के लिए राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करना।

(ग) हिन्दी भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए समय-समय पर उसके अभावों को पूरा करना और उसकी शैली में संशोधन और त्रुटियों को दूर करने का

५. हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों के अतिरिक्त सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक अथवा मतमतान्तर-सम्बन्धी विषयों पर विचार न किया जायेगा।

सदस्य

(संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग)

६. सम्मेलन के सदस्य तीन प्रकार के होंगे-

(क) विशिष्ट सदस्य, (ख) स्थायी सदस्य तथा (ग) साधारण सदस्य। जिस हिन्दी-प्रेमी ने सम्मेलन को सहायतार्थ या किसी विशेष काम के लिए १०००/- या उससे अधिक दिया हो, वह विशिष्ट सदस्य चुना जायेगा।

ऐसे सदस्यों को वे कुल अधिकार प्राप्त होंगे, जो स्थायी सदस्यों को हैं, किन्तु जिस विशिष्ट सदस्य ने ५०००/- या उससे अधिक की सहायता दी हो, वह आजीवन स्थायीसमिति का सदस्य रहेगा।

स्थायी सदस्यों से एक साथ ३००/- और साधारण सदस्यों से २५/- वार्षिक शुल्क लिया जायेगा।

साधारण सदस्यों को अपना वार्षिक शुल्क वर्ष के आरम्भ से पहले ही भेज देना चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों का उपयोग वर्ष के आरम्भ से ही कर सकें। कोई साधारण सदस्य किसी वर्ष के सम्बन्ध में अपने अधिकार का उपयोग तब तक न कर सकेगा, जब तक उसका तद्वर्ष-सम्बन्धी वार्षिक शुल्क सम्मेलन-कार्यालय में न आ जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति

७. यदि सूचना देने पर किसी साधारण सदस्य का शुल्क वर्ष के आरम्भ से ६ मास के भीतर न आ जाय, तो कार्यसमिति को अधिकार होगा कि उसका नाम सदस्यता की सूची में न रखे।

८. नयी सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे कार्यकारिणी समिति की अगली सभा में रखा जायेगा और उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा स्वीकार किये जाने पर ही सदस्यता प्रदान की जायेगी। यही नियम विशिष्ट व स्थायी सदस्यों के लिए लागू होगा।

कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता न स्वीकार किये जाने पर ऐसे सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह स्थायीसमिति को अपना प्रतिवेदन भेजकर सदस्य बनाये जाने के लिए आग्रह करे। स्थायीसमिति का निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

९. स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि किसी हिन्दी-सेवी सज्जन को बिना शुल्क ही विशिष्ट, स्थायी अथवा साधारण सदस्य बना ले। ऐसे सदस्यों को अधिकार अन्य सदस्यों के समान ही होंगे, परन्तु उनकी संख्या शुल्क देनेवाले सदस्यों के दसवें अंश से अधिक न होगी।

पदाधिकारी

१०. (क) सम्मेलन का कार्य करने के लिए नीचे लिखे अनुसार पदाधिकारी होंगे-सभापति, दो उप सभापति, प्रधानमंत्री, प्रबन्धमंत्री, प्रचारमंत्री, परीक्षामंत्री, साहित्यमंत्री, संग्रह-मंत्री, राष्ट्रभाषा-प्रचारमंत्री, अर्थमंत्री तथा आय-व्यय निरीक्षक।

(ख) उप सभापतियों में से एक कार्यवाहक उप सभापति कहलायेगा और वह प्रयागवासी होगा।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति एक से अधिक पद ग्रहण कर सकता है। सम्मेलन के पदाधिकारियों का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। नये पदाधिकारियों के चुने जाने और कार्यभार ग्रहण करने तक पुराने पदाधिकारी कार्यरत रहेंगे। यही विधा स्थायीसमिति के लिए लागू होगी। इस कार्य हेतु सम्मेलन का अधिवेशन प्रति पाँच वर्ष के अन्तराल पर होगा, जिसे सत्र-अधिवेशन कहा जायेगा।

संस्था के अंग

स्थायीसमिति (साधारण सभा)

११. सम्मेलन के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों और उद्देश्यों के अनुसार, अगले सत्र-अधिवेशन तक बराबर कार्य करने के लिए सम्मेलन के प्रतिनिधि रूप एक समिति होगी, जो सम्मेलन की स्थायीसमिति कहलायेगी।

१२. स्थायीसमिति का गठन प्रति पाँचवें वर्ष होगा और उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) पिछले सब अधिवेशनों के सभापति एवं प्रधानमंत्री।

(ख) सम्बद्ध प्रदेश सम्मेलनों की स्थायी समितियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार होगी–
उत्तरप्रदेश-१३, बिहार-५, मध्यप्रदेश-५, महाराष्ट्र-६, पंजाब-३, हरियाणा-२, राजस्थान-५, जम्मू-कश्मीर-२, हिमाचलप्रदेश-१, पं० बंगाल-३, दिल्ली-३, कर्नाटक-२, आन्ध्रप्रदेश-२, तमिलनाडु-२, केरल-२, त्रिपुरा-२, उड़ीसा-२, आसाम-२, मेघालय-२, नागालैण्ड-२, मणिपुर-२, गोवा-२, प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश से एक, तथा उत्तरांचल प्रदेश-२, छत्तीसगढ़ प्रदेश-३, झारखण्ड प्रदेश-३।

(ग) प्रदेश सम्मेलनों के अतिरिक्त सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या स्थायीसमिति द्वारा उपनियमों के अनुसार निर्धारित होगी। यह संख्या किसी भी संस्था के लिए दो से अधिक न होगी।

(घ) स्वागत-समिति के चार प्रतिनिधि–जिन्हें वह अपना संगठन होते ही नियत करेगा और वे उस समय से स्थायीसमिति के सदस्य तब तक रहेंगे, जब तक दूसरे अधिवेशन की स्वागत-समिति द्वारा प्रतिनिधि नियत न किये जायेंगे।

(ङ) सम्मेलन की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या उप-नियमों के अनुसार होगी, किन्तु किसी दशा में दो से अधिक न होगी।

(च) सम्मेलन को ५०००/- या उससे अधिक देनेवाले सब विशिष्ट सदस्य होंगे।

(छ) शेष विशिष्ट सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के पंचमांश होंगे।

(ज) स्थायी सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, किन्तु ७ से अधिक न होंगे। बन्धन यह होगा कि वही सदस्य चुनाव में भाग ले सकेंगे, जो पूरे सत्र में सदस्य रहे हों।

(झ) साधारण सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, किन्तु ७ से अधिक न होंगे।

(ञ) सम्मेलन के परीक्षोत्तीर्ण अधिकृत उपाधिधारियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, किन्तु ७ से अधिक न होंगे।

(ट) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण अधिकृत उपाधिधारी, जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, किन्तु ७ से अधिक न होंगे।

(ठ) हिन्दी विद्वत्परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, किन्तु ७ से अधिक न होंगे।

(ड) हिन्दी विद्वत्परिषद् के केन्द्र-व्यवस्थापकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, किन्तु ७ से अधिक न होंगे।

(ढ) मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त विद्वानों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के पंचमांश होंगे, किन्तु पाँच से अधिक न होंगे।

(ण) सेक्सरिया महिला पारितोषिक प्राप्त विदुषियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या की पंचमांश होंगी, किन्तु पाँच से अधिक न होंगे।

(त) मुरारका पारितोषिक, राधामोहन गोकुल जी पुरस्कार तथा रत्नकुमारी पारितोषिक प्राप्त विद्वानों तथा विदुषियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जो उनकी संख्या के पंचमांश होंगे, किन्तु पाँच से अधिक न होंगे।

(थ) वर्तमान स्थायीसमिति द्वारा अगली स्थायीसमिति के लिए प्रतिनिधि, जिनकी निर्वाचित संख्या पन्द्रह से अधिक न होगी और जिनमें से पाँच से अधिक किसी एक प्रान्त के न होंगे।

(द) भारत सरकार द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि।

१३. स्थायीसमिति के प्रत्येक सदस्य से ३/- वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। जो सज्जन भूतपूर्व सभापति तथा विशिष्ट सदस्य होने के कारण स्थायीसमिति के सदस्य माने गये हैं, उनसे शुल्क लेना आवश्यक न होगा।

१४. सभी पदाधिकारियों का चुनाव स्थायीसमिति के प्रथम अधिवेशन में होगा। समस्त पदाधिकारी अपने पद के कारण स्थायीसमिति के सदस्य होंगे। स्थायीसमिति का प्रथम अधिवेशन नवीन स्थायीसमिति के गठन के उपरान्त एक मास के अन्दर प्रधान कार्यालय में होगा। जिसकी सूचना यथानियम देना आवश्यक होगा।

१५. यदि समिति के किसी पदाधिकारी अथवा किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाय, तो स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि

उसके स्थान पर दूसरी नियुक्ति कर ले। ऐसी अवस्था में स्थायी-समिति प्रायः उसी मण्डल से नयी नियुक्ति करेगा, जिस मण्डल से वह निर्वाचित हुआ हो और यदि वह सदस्य नियम-१२ के (ख), (ग), (घ) अथवा (ङ) के अनुसार निर्वाचित हुआ हो, तो उस संस्था से परामर्श कर समिति उक्त स्थान की पूर्ति करेगी।

१६. स्थायीसमिति की बैठकें बुलाने का अधिकार साधारण रीति से सभापति, कार्यवाहक उप सभापति अथवा प्रधानमंत्री को होगा और समिति की बैठक साधारणतः सम्मेलन के मुख्य स्थान में होगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति के बीस सदस्यों को अधिकार होगा कि प्रधानमंत्री को लिखें कि किसी विशेष समय पर समिति की बैठक बुलावें। लेख आने पर प्रधानमंत्री को उस समय समिति की बैठक बुलाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री द्वारा बैठक न बुलाने पर सभापति या कार्यवाहक उप सभापति के आदेश से उपर्युक्त बैठक निर्दिष्ट समय और स्थान पर बुलायी जायेगी।

१७. यदि कोई ऐसा विषम प्रश्न उठे, जिसका तुरन्त निर्णय करना अनिवार्य हो और नियमानुसार सूचना देने का समय न हो, तो प्रधानमंत्री को अधिकार होगा कि स्थायीसमिति के केवल स्थानीय (प्रयाग में रहनेवाले) सदस्यों को सूचना देकर उस प्रश्न के विचार के लिए एक विशेष बैठक कर लें तथा अगली स्थायीसमिति में स्वीकृति हेतु उसे सूचनार्थ उपस्थित कर दें।

१८. स्थायीसमिति की किसी बैठक का कोरम मन्त्रियों के अतिरिक्त कम से कम ५ सदस्यों की उपस्थिति बिना न होगा।

१९. (क) स्थायीसमिति का कर्तव्य होगा कि पिछले पाँच वर्ष का- (१) कार्य-विवरण, (२) आय-व्यय का हिसाब, जो नियुक्त संपरीक्षक से परीक्षित होगा और (३) स्थायीसमिति द्वारा स्वीकृत आगामी पाँच वर्ष के आय-व्यय का अनुमानपत्र

सूचनार्थ सम्मेलन के अधिवेशन में प्रधानमंत्री द्वारा उपस्थित करे।

(ख) स्वीकृत अनुमानपत्र में यदि किसी विशेष आय या व्यय के समावेश करने की आवश्यकता हो, तो स्थायीसमिति को आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

अन्य समितियाँ

२०. स्थायीसमिति नीचे लिखी समितियों का संगठन करेगी।

कार्यसमिति, हिन्दी विद्वत्परिषद्, साहित्यसमिति, संग्रहसमिति, प्रचारसमिति।

इसके अतिरिक्त स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि किसी विशेष अभिप्राय से विशेष समिति का संगठन करे।

स्थायीसमिति को यह अधिकार होगा कि इन समितियों में से किसी को विशेष समय तक काम करने के लिए ही नियुक्त करे, किन्तु वह समय पाँच वर्ष से अधिक न होगा।

२१. स्थायीसमिति द्वारा संगठित समितियों को अधिकार होगा कि कार्य की सुविधा के लिए अपना कोई कार्य किसी विशेष उपसमिति या उपसमितियों को सौंप दे। स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि उपर्युक्त धाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संगठित समितियों को भंग कर दे, और आवश्यकतानुसार नयी समितियाँ गठित कर दे।

कार्यसमिति

(प्रबन्धकारिणी समिति)

२२. सम्मेलन का कार्य-संचालन सुगम बनाने के लिए २१ सदस्यों तक की एक कार्यसमिति होगी, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा।

(क) सभापति, उपसभापति, प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री, प्रबन्धमंत्री, परीक्षामंत्री, साहित्यमंत्री, प्रचारमंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचारमंत्री, और संग्रहमंत्री अपने पद के कारण सदस्य होंगे।

(ख) १० तक निर्वाचित सदस्य। इस समिति में कम से कम २० प्रतिशत सदस्य उत्तरप्रदेश के बाहर के होंगे।

२३. इस समिति का कोरम ५ होगा, जिनमें मन्त्रियों के अतिरिक्त कम से कम ३ सदस्य अवश्य होने चाहिए।

२४. (क) सम्मेलन की स्थायीसमिति का यह कर्तव्य होगा कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्थापित कराने का प्रयत्न करे।

(ख) इन प्रदेश सम्मेलनों का कर्तव्य होगा कि वे अपने-अपने प्रदेश में अपनी नियमावली के अनुसार जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्थापित करें और नगरों तथा ग्रामों में हिन्दी और नागरी-प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली सभाएँ बनायें और उनका नियन्त्रण करें।

(ग) प्रत्येक प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अपनी नियमावली की स्वीकृति स्थायीसमिति से लेनी होगी।

(घ) स्थायीसमिति उनकी नियमावली में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का सुझाव देगी।

(ङ) स्थायीसमिति प्रत्येक प्रदेश सम्मेलन के कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करेगी।

(च) जिस प्रान्त में सम्बद्ध प्रदेश सम्मेलन का कार्य सन्तोषजनक हो, वहाँ स्थायीसमिति, हिन्दी-प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली संस्थाओं और जनपद सम्मेलनों को साधारणतः अपने से सम्बद्ध न करेगी, किन्तु यह प्रेरणा करेगी कि वे प्रदेश सम्मेलन से ही सम्बद्ध हों।

(छ) विशेष अवस्था में स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि ऐसे प्रदेश के किसी संस्था को अपने से सीधे सम्बद्ध करे।

(ज) स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि जिस प्रदेश में सम्बद्ध प्रदेश सम्मेलन न हो अथवा प्रदेश सम्मेलन का काम सन्तोषजनक न हो, वहाँ की हिन्दी संस्थाओं को सम्मेलन से सीधे सम्बद्ध करे।

२५. प्रदेश सम्मेलनों से उनके सम्बद्ध होते समय ५/- सम्बद्धता-शुल्क तथा निम्नलिखित तालिका के अनुसार वार्षिक शुल्क लिया जायेगा— उत्तरप्रदेश १००/-, बिहार ५५/-, मध्यप्रदेश ५५/-, विदर्भ २०/- पंजाब २०/-, हरियाणा १५/-, राजस्थान ३५/-, जम्मू-कश्मीर १५/-, हिमाचलप्रदेश १०/-, पश्चिम बंगाल २५/-, मुम्बई २०/-, दिल्ली २०/-, उत्तरांचल २०/-, छत्तीसगढ़ २०/-, झारखण्ड २०/-।

(क) प्रदेश सम्मेलनों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को अपना वार्षिक शुल्क, वर्ष के आरम्भ से पहले ही भेज देना चाहिए, जिससे वे वर्षारम्भ के साथ ही अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। वर्ष के आरम्भ होने के पश्चात् जब तक उनका शुल्क नहीं आ जायेगा, तब तक वे सम्मेलन से सम्बद्ध होने के अपने किसी अधिकार का उपयोग न कर सकेंगे।

(ख) प्रदेश सम्मेलनों के अतिरिक्त सम्बद्ध संस्थाओं को सम्बद्ध होते समय ५/- सम्बद्धता शुल्क तथा प्रतिवर्ष ५/-वार्षिक शुल्क देना होगा।

सम्मेलन की सम्पत्ति और स्थायी कोष (संस्था का कोष)

२६. सम्मेलन की सब सम्पत्ति स्थायीसमिति के अधीन होगी।

२७. सम्मेलन का एक स्थायी कोष होगा, जिसका मूलधन सम्मेलन की आज्ञा बिना व्यय नहीं किया जायेगा।

२८. (क) स्थायी सदस्यों का शुल्क, (ख) स्थायी कोष के लिए दान तथा (ग) जो द्रव्य स्थायीसमिति स्थायी कोष में जमा करना चाहे।

२९. आय-व्यय के हिसाब और अनुमान-पत्र तथा वार्षिक विवरण के लिए सम्मेलन का वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा। किन्तु स्थायीसमिति नियम १० ग एवं ११ के अन्तर्गत नयी स्थायीसमिति गठित होने तक कार्य करती रहेगी।

३०. धारा १० में चर्चित अधिवेशन, जिसे प्रति पाँचवें वर्ष किया जायेगा और जिसमें स्थायीसमिति का गठन होगा (जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष होगा और जिसे सत्र-अधिवेशन कहा जायेगा) के अलावा सम्मेलन का एक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा, जिसे वार्षिक अधिवेशन कहा जायेगा। वार्षिक अधिवेशन का समय, स्थान व कार्यक्रम सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति निर्धारित करेगी।

सम्मेलन के उपर्युक्त वार्षिक सम्मेलन का सभापतित्व करने के लिए सम्मेलन की कार्यकारिणी हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों या हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अभिरुचि रखनेवाले महानुभावों में से एक को मनोनीत करेगी।

वार्षिक सम्मेलन के सभापति को केवल वार्षिक सम्मेलन के खुले अधिवेशन का सभापतित्व करने का अधिकार होगा और जो स्थायी-समिति के निर्देश से होगा। साधारण सम्मेलन के सभापति को स्थायीसमिति के अधिवेशनों में सभापतित्व करने का अधिकार न होगा और धारा १० के अन्तर्गत पदाधिकारी न माने जायेंगे।

३१. सम्मेलन के साधारण अधिवेशन के समय साहित्य, समाजशास्त्र (इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन-विज्ञान, तात्विक विज्ञान तथा व्यावहारिक विज्ञान आदि) और राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी परिषदें की जायेंगी और उन परिषदों के लिए उन विषयों के विद्वान्

प्रधान सभापति के चुनाव के नियमों के अनुसार सभापति निर्वाचित हुआ करेंगे।

इन परिषदों के स्वीकृत प्रस्ताव और योजनाएँ विषय-निर्वाचिनी समिति के पास विचारार्थ भेजा जायेगा। यदि विषय-निर्वाचिनी समिति का कार्य समाप्त हो चुका हो, तो उन्हें स्थायीसमिति में रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार ये सम्मेलन में भी उपस्थित किये जा सकते हैं।

३२. वार्षिक या सत्र-अधिवेशन के अतिरिक्त सम्मेलन के विशेष अधिवेशन की आवश्यकता हो, तो स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि उसका प्रबन्ध करे।

स्वागत-समिति

३३. प्रत्येक स्थान में, जहाँ सम्मेलन का होना निश्चित हुआ हो, एक स्वागत- समिति बनायी जायेगी, जिसका कर्तव्य होगा कि अपने यहाँ होनेवाले सम्मेलन के अधिवेशन का सब प्रबन्ध करे।

३४. प्रत्येक अधिवेशन के व्यय के बाद जो कुछ सम्पत्ति बचे, उसके सम्बन्ध में स्वागत-समिति का यह कर्तव्य होगा कि आय-व्यय का प्रथम हिसाब एक मास के भीतर सम्मेलन-कार्यालय में भेज दे तथा पूरा हिसाब ब्यौरेवार जँचवाकर अधिवेशन की समाप्ति के छह मास के भीतर साफ कर दे। स्वागत-समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह बचत में से आधा धन स्थायीसमिति को सौंप दे। शेष आधे के सम्बन्ध में उसे अधिकार होगा कि किसी स्थानीय सम्बद्ध संस्था को दे दे। यदि वहाँ कोई स्थानीय संस्था न हो, तो कुल धन स्थायीसमिति को सौंप देना होगा।

स्वागत-समिति द्वारा किये गये किसी व्यय या उधार लिये गये रुपये के लिए सम्मेलन उत्तरदायी न होगा।

सभापति का चुनाव

३५. सम्मेलन का पंचवार्षिक अधिवेशन (जिसे आगे सत्र-अधिवेशन कहा जायेगा) में सभापति का चुनाव होगा और जिनका कार्यकाल स्थायीसमिति की भाँति पाँच वर्ष होगा। चुनाव नयी गठित स्थायीसमिति के सदस्य करेंगे।

प्रतिनिधि

३६. निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा—

(क) सम्बद्ध प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलनों के निम्न संख्यक प्रतिनिधि—उत्तरप्रदेश ६०, बिहार ३३, मध्यप्रदेश ३३, पंजाब १२, हरियाणा ९, राजस्थान २१, जम्मू-कश्मीर ९, हिमाचलप्रदेश ६, पश्चिम बंगाल १५, महाराष्ट्र २४, दिल्ली १२, कर्नाटक ६, आन्ध्रप्रदेश ६, तमिलनाडु ६, केरल ६, त्रिपुरा ६, उड़ीसा ६, मेघालय ६, नागालैण्ड ६, मणिपुर ६, अरुणाचल ६, गोवा ६, केन्द्रशासित प्रदेश में से प्रत्येक से ३ तथा उत्तरांचल प्रदेश ८, छत्तीसगढ़ प्रदेश १२, झारखण्ड प्रदेश १२।

(ख) सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या उप नियमों द्वारा निश्चित होगी।

(ग) सम्मेलन से सम्बद्ध अन्य संस्थाएँ। इनमें से प्रत्येक को तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।

(घ) स्वागत-समिति को दस प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।

३७. सम्मेलन के सदस्य, मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त विद्वान्, सेक्सरिया महिला पारितोषिक प्राप्त विदुषियाँ, सम्मेलन के साहित्य-वाचस्पति तथा स्थायीसमिति और हिन्दी विद्वत्परिषद् के सदस्य

सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिनिधि समझे जायेंगे। सम्मेलन के कोई पूर्व सभापति २ तथा वर्तमान सभापति १० की संख्या तक अपने प्रमाण-पत्र द्वारा सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि बना सकेंगे।

३८. प्रत्येक प्रतिनिधि को ५/- शुल्क देना होगा। शुल्क देने पर सम्मेलन से प्रतिनिधित्व का प्रमाण-पत्र मिलेगा, जिसके बिना किसी को भी सम्मेलन के कार्यों में भाग लेने और सम्मति देने का अधिकार न होगा। प्रतिनिधियों के सम्पूर्ण शुल्क पर स्थायीसमिति का अधिकार होगा।

विषय निर्वाचिनी-समिति

३९. प्रत्येक सम्मेलन अधिवेशन के अवसर पर साधारणत: सभापति के भाषण के पूर्व स्थायीसमिति का एक विशेष अधिवेशन होगा। स्थायीसमिति का कार्य समाप्त होने पर यही अधिवेशन विषय निर्वाचिनी-समिति का अधिवेशन बन जायेगा। स्वागत-समिति के सभापति तथा प्रधानमंत्री इस अधिवेशन में भाग ले सकेंगे। इस अधिवेशन में आगामी स्थायीसमिति के सदस्य भी भाग ले सकेंगे।

सम्मेलन के अधिवेशन का कार्यक्रम

४०. विषय निर्वाचिनी-समिति के निश्चय के अनुसार सम्मेलन के सामने कार्य उपस्थित किये जायेंगे और सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि उन पर विचार करेंगे।

४१. कोई प्रस्ताव बिना विषय निर्वाचिनी-समिति में स्वीकृत हुए सम्मेलन के सामने उपस्थित न किया जायेगा, किन्तु कोई ऐसा प्रस्ताव, जिसे विषय निर्वाचिनी-समिति ने अस्वीकृत कर दिया है, सम्मेलन के अधिवेशन में २० प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से सभापति को पूर्व सूचना देने के बाद उपस्थित किया जा सकेगा।

सम्मति ग्रहण का क्रम

४२. केवल सम्मेलन और उसके अन्तर्गत परिषदों के सभापति निर्वाचन में तथा सम्मेलन के पदाधिकारी और कार्यसमिति, हिन्दी विद्वत्-परिषद् एवं अन्य समितियों के सदस्यों के चुनाव में पत्र द्वारा भेजी हुई सम्मतियों की भी गणना की जायेगी। अन्य सब अवसरों पर उपस्थित सदस्यों की अधिकांश सम्मति से कार्य होगा।

४३. यह बात सभापति निश्चय करेंगे कि किस ओर अधिक सम्मति है। परन्तु विषय निर्वाचिनी-समिति के प्रत्येक सदस्य और सम्मेलन में २० प्रतिनिधियों को अधिकार होगा कि किसी विचाराधीन प्रस्त विषय के निर्णय के लिए दोनों पक्षों के समर्थनकर्त्ताओं की संख्या अलग-अलग कर गिनवायें। इसके लिए किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रस्ताव आने पर सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति निश्चय करेंगे कि प्रस्ताव के पक्ष में २० प्रतिनिधि हैं या नहीं।

४४. सब अधिवेशनों में किसी विषय पर दो पक्ष होने पर और दोनों पक्षों में बराबर सम्मतियाँ होने पर सभापति के मत से निर्णय किया जायेगा।

विशेष अवस्था में कार्य

४५. यदि किसी समय कोई ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाय, जो नियमावली की किसी धारा के अन्तर्गत न हो, तो स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि अपने एक विशेष अधिवेशन में इस सम्बन्ध में निश्चय करके कार्य करे, परन्तु इसकी सूचना सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में देनी होगी और भविष्य में सम्मेलन के निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य होगा।

अनुशासन

४६. यदि सम्मेलन का कोई सदस्य अथवा उपाधिधारी अथवा स्थायी-

समिति, किसी अन्य समिति या उपसमिति का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों द्वारा सम्मेलन के किसी निर्वाचन में मत देने या निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है, सम्मेलन के उद्देश्यों, नियमों अथवा उपनियमों या सम्मेलन के हित या स्थायीसमिति की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करे, तो स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि कार्यसमिति के परामर्श देने पर उसको सम्मेलन की सदस्यता, किसी समिति या उपसमिति की सदस्यता अथवा किसी पद या अधिकार से हटा दे या उपाधि लौटा ले।

उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि सदस्य-विशेष को कारण बताओ नोटिस दी जाय, स्पष्टीकरण माँगा जाय और उस पर विचार करने के उपरान्त अनुशासन की कार्यवाही की जाय। उपर्युक्त प्रक्रिया के समाप्त होने तक ऐसे सदस्य की सदस्यता निलम्बित की जा सकती है।

निर्वाचन-सम्बन्धी विवाद

४७. सम्मेलन की स्थायीसमिति की सदस्यता, किसी अन्य समिति की सदस्यता या पदाधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो, तो कोई व्यक्ति, जिसे उस निर्वाचन से हानि पहुँची हो, उक्त निर्वाचन के विरुद्ध प्रधानमंत्री, कार्यवाहक उप सभापति या सभापति के माध्यम से अथवा कार्यकारिणी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यकारिणी समिति अपने अगले अधिवेशन में एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक अधिकरण (ट्रिब्यूनल) नियुक्त करेगा, जिसके सभी सदस्य प्रयाग के गणमान्य नागरिक होंगे। हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का अधिकरण एक सदस्यीय होगा, परन्तु अन्य कोई अधिकरण एक सदस्यीय न होगा। अधिकरण दोनों पक्षों को सुनने

के बाद अपना निर्णय देगा, जो अन्तिम होगा। कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति निर्वाचन-सम्बन्धी विवाद को उपर्युक्त अधिकरण से निर्णय कराये बगैर न्यायालय में दावा नहीं दायर कर सकेगा। अधिकरण के निर्णय की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के पहिले सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति से अनुमति की आवश्यकता होगी। समिति द्वारा अनुमति न दिये जाने पर प्रतिवेदन करनेवाले सदस्य को अधिकार होगा कि समिति के निर्णय के विरुद्ध और अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपना वाद-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सके।

कोई व्यक्ति, जो सम्मेलन का सदस्य नहीं है, निर्वाचन-सम्बन्धी किसी विषय में अथवा सम्मेलन के आन्तरिक मामलों में किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी न होगा। निर्वाचन-सम्बन्धी या सम्मेलन के आन्तरिक मामले-सम्बन्धी विवाद निर्णय करने का अधिकार-क्षेत्र केवल इलाहाबाद स्थित न्यायालयों को होगा। कोई सदस्य या व्यक्ति उपर्युक्त विवादों को इलाहाबाद के बाहर स्थित न्यायालयों में नहीं दाखिल कर सकेगा।

संस्था के नियमों एवं उपनियमों में संशोधन-प्रक्रिया

उपनियम

४८. स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे उपनियम बनावे, जो उपर्युक्त नियमों के प्रतिकूल न हो। स्थायीसमिति द्वारा संगठित समितियों को भी अधिकार होगा कि अपने कार्य के संचालन के लिए आवश्यक उपनियम बनाकर स्थायीसमिति से स्वीकृति लेकर कार्य में परिणत करें।

नियमों में परिवर्तन

४९. (क) इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार सम्मेलन के

उपस्थित प्रतिनिधियों को होगा। परिवर्तन के प्रस्ताव करने का अधिकार स्थायीसमिति के सदस्यों तथा सम्बद्ध प्रान्तीय सम्मेलनों को होगा और ऐसे प्रस्ताव सम्मेलन के अधिवेशन से कम-से-कम दो मास पहिले प्रधानमन्त्री के पास आ जाने चाहिए। प्रधानमन्त्री का कर्तव्य होगा कि नियमों के परिवर्तन के प्रस्ताव स्थायीसमिति के सामने उपस्थित करें। स्थायी-समिति प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव को अपने मन्तव्यों सहित अगले अधिवेशन मे उपस्थित करेगी।

(ख) नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों की भाँति सम्मेलन में विषय निर्वाचिनी-समिति द्वारा उपस्थित किया जायेगा और अन्य प्रस्तावों की भाँति प्रतिनिधियों की अधिकांश सम्मति से स्वीकृत होगा। केवल प्रधान कार्यालय के बदलने के लिए यह आवश्यक होगा कि उस नगर में रहनेवाले प्रतिनिधियों को छोड़कर, जहाँ सम्मेलन का अधिवेशन हो, शेष उपस्थित प्रतिनिधियों में से दो तिहाई स्थान बदलने के प्रस्ताव का समर्थन करें।

उपनियम

सदस्य

१. (क) तीनों प्रकार के सदस्यों को सम्मेलन-पत्रिका निःशुल्क दी जायेगी।

स्थायीसमिति के प्रत्येक सदस्य को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १२ सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद (जिसे आगे सम्मेलन कहा जायेगा) के अधिवेशन का कार्य-विवरण एवं 'सम्मेलन' की मुखपत्रिका निःशुल्क पाने का अधिकार होगा।

(ख) सब प्रकार के सदस्यों को सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सभी ग्रन्थ पच्चीस प्रतिशत के रियायती मूल्य पर मिल सकेंगे।

२. कोई भी हिन्दी साहित्य-सेवी या हिन्दी का प्रेमी उस समय सम्मेलन का सदस्य हो सकेगा, जब सम्मेलन के मुद्रित आवेदनपत्र पर उसकी लिखित इच्छा के आधार पर कार्यसमिति के किसी अधिवेशन में स्थायीसमिति के सदस्य द्वारा उसके निर्वाचन के लिए प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन उपस्थित सदस्यों का बहुमत होगा।

अधिकृत उपाधिधारी

३. सम्मेलन की 'रत्न' और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की 'राष्ट्रभाषारत्न' परीक्षाओं में उत्तीर्ण उपाधिधारियों का एक रजिस्टर रखा जायेगा। जो उपाधिधारी २५ रुपये एक बार देंगे, उनका नाम इस रजिस्टर में चढ़ाया जायेगा और इस रजिस्टर में नामांकित उपाधिधारी अधिकृत उपाधिधारी कहलायेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने से एक वर्ष पश्चात् ही कोई व्यक्ति अधिकृत उपाधिधारी बन सकेगा।

स्थायीसमिति के लिए प्रतिनिधि

४. (क) नियम १२ (ग) के अधीन सम्बद्ध संस्थाएँ नीचे लिखे अनुसार स्थायीसमिति में प्रतिनिधि भेजेंगी—२०० से कम सदस्यों पर कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जा सकेगा। २०० से ९९९ सदस्यों तक एक प्रतिनिधि और इससे अधिक होने पर दो प्रतिनिधि। इन संस्थाओं के उन्हीं सदस्यों की गणना की जायेगी, जो कम-से-कम एक रुपये प्रतिवर्ष उस संस्था को देते हों। सम्मेलन की सम्बद्ध संस्था से जो अन्य संस्था सम्बद्ध होगी, वह निर्वाचन के लिए उस संस्था के एक सदस्य के समान समझी जायेगी।

(ख) नियम १२ (ङ) के अधीन प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ

नीचे लिखे अनुसार स्थायीसमिति में प्रतिनिधि भेजेंगी।

पश्चिम बंगाल-१, आसाम-१, महाराष्ट्र-२, गुजरात-२, विदर्भ-नागपुर-१, मुम्बई-१।

५. नियम १३ के अनुसार बिना वार्षिक शुल्क के दिये हुए किसी सदस्य को स्थायीसमति की सदस्यता के कोई अधिकार प्राप्त न होंगे। यदि सूचना देने के तीन मास के भीतर किसी सदस्य का वार्षिक शुल्क न आये, तो उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा और स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि उस स्थान की पूर्ति कर ले।

निर्वाचन-प्रक्रिया

६. स्थायीसमति के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन के उपनियम इस प्रकार होंगे।

(क) कार्यसमिति यथासमय चुनाव कराने की घोषणा करेगी तथा निर्वाचन-सम्बन्धी कार्यक्रम समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगी।

(ख) निर्वाचन-कार्यक्रम के अनुसार नियम-१२ (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण) और (त) के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकृत निर्वाचकों के पास मतपत्र भेजकर सम्मति मँगायी जायेगी कि वे अपने मण्डल से किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।

(ग) इसी प्रकार नियम १२ (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अनुसार सम्बद्ध सम्मेलनों/संस्थाओं तथा प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों से स्थायीसमिति के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया जायेगा।

(घ) नियम-१२ के अनुसार स्थायीसमिति के लिए प्रतिनिधि-

निर्वाचन में जहाँ दशमांश और पंचमांश का क्रम रखा गया है, वहाँ यदि पूरा भागफल एक से कम आये, तो एक मान लिया जायेगा और भागफल एक से अधिक होने की दशा में यदि पूरा-पूरा विभाग न हो सके और शेष बच जाय, तो यदि शेष भाजक का आधा या आधे से अधिक हो, तो पूरा मान लिया जायेगा और यदि कम हो तो छोड़ दिया जायेगा।

(ङ) प्रत्येक चुनाव के लिफाफे सम्मेलन-कार्यालय द्वारा भेजे जायेंगे तथा मतपत्रों की गणना कार्यसमिति के समक्ष होगी।

(च) स्थायीसमिति के लिए अपने मण्डल से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार केवल उन्हीं केन्द्र के व्यवस्थापकों को होगा, जिनके यहाँ चुनाव की घोषणा होने के पूर्व चालू वर्ष में परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हों।

(छ) इसी प्रकार केवल वे ही परीक्षक अपने मण्डल से प्रतिनिधि चुनने के अधिकारी होंगे, जो चुनाव की घोषणा होने के पूर्व चालू वर्ष में परीक्षक रहे हों।

स्थायीसमिति का सभापति

७. सम्मेलन के सभापति आगामी पंचवार्षिक अधिवेशन तक स्थायीसमिति के सभापति रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। यदि उपसभापति भी न हों तो, समिति को अधिकार होगा कि उपस्थित सदस्यों में से किसी को सभापति निर्वाचित कर ले।

स्थायीसमिति की बैठकों की सूचना

८. यह आवश्यक होगा कि स्थायीसमिति की सभी बैठकों की सूचना कार्यक्रम सहित कम-से-कम १५ दिन पूर्व समिति के सभी सदस्यों के पास भेज दी जाय।

IndiaCode

अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि

९. नियम ३६ (ख) के अधीन प्रत्येक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ नीचे लिखी संख्या के अनुसार सम्मेलन के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि भेज सकेंगी–

गुजरात–६, मुम्बई–३, महाराष्ट्र–३, विदर्भ–नागपुर–३, उड़ीसा–३, पश्चिम बंगाल–३, आसाम–३।

मत का क्रम

१०. इलाहाबाद (प्रयाग) के बाहर रहनेवाले सदस्यों को अधिकार होगा कि विचारणीय विषयों पर अपनी लिखित सम्मति भेज दें, जिसपर विचार किया जायेगा, किन्तु सम्मति में उसकी गणना न की जायेगी। स्थायीसमिति द्वारा गठित अन्य समितियों में भी सदस्यों को यह अधिकार रहेगा।

सम्बद्ध संस्थाएँ

११. सम्मेलन से सम्बद्धता की इच्छुक हिन्दी–सेवी संस्थाओं को एक निश्चित प्रारूप–पत्र सम्मेलन–कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक विवरण-सहित भेजना होगा।

१२. सम्बद्ध प्रान्तीय सम्मेलनों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को अधिवेशन के पूर्व पिछले वर्ष का संक्षिप्त कार्य- विवरण प्रधानमन्त्री के पास भेजना आवश्यक होगा।

१३. सम्बद्ध प्रान्तीय सम्मेलनों तथा संस्थाओं को सम्मेलन-पत्रिका निःशुल्क दी जायेगी।

पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य

१४. पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे।

सभापति

(क) सम्मेलन के अधिवेशन (उन वार्षिक अधिवेशनों को छोड़कर, जिसकी अध्यक्षता हेतु स्थायीसमिति ने किसी विशेष व्यक्ति का मनोनयन किया हो) तथा स्थायीसमिति एवं उन समितियों, जिसका वह सदस्य हो, अध्यक्षता करना।

(ख) अधिवेशन के नियमों के अनुसार निर्णय करना।

(ग) सम्मेलन के कार्यों का निरीक्षण करना।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर स्थायीसमिति की बैठक करने की आज्ञा देना।

(ङ) आज्ञा देने पर प्रधानमन्त्री अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्थायीसमिति अथवा अन्य समितियों की बैठक न बुलाये जाने पर स्वयं बैठक बुलाना।

(च) अन्य कोई आकस्मिक महत्त्व के कार्य आ पड़ें, तो उन विषयों में आज्ञा देना।

उपसभापति

(क) सभापति की अनुपस्थिति में (१) उनके कर्तव्यों का पालन, (२) उन समितियों की अध्यक्षता करना, जिनका वह सदस्य हो।

(ख) यदि किसी समिति में एक से अधिक उपसभापति हों, तो सभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई एक अध्यक्ष चुन लिया जायेगा।

प्रधानमन्त्री

(क) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति और उनके प्रतिरोधक कारणों के निराकरण हेतु उचित प्रबन्ध करना।

IndiaCode

(ख) कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना। अवकाश के आवेदन-पत्र स्वीकृति के बिना या अन्य किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने पर या किसी अन्य कदाचार (मिसकण्डक्ट) के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करना।

(ग) सहायकमन्त्री के अतिरिक्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अलग करना और छुट्टी देना।

नोट –जिस विभाग के वे कर्मचारी हों उस विभाग के मन्त्री की भी सलाह इनमें होना चाहिए। यदि प्रधानमन्त्री और विभागीय मन्त्री के मतों में अन्तर हो, तो उसका निर्णय कार्यसमिति करेगी।

(घ) आवश्यक होने पर मन्त्रियों की अधिकांश सम्मति के अनुसार वैतनिक सहायकमन्त्री को पदच्युत करना तथा नया सहायक मन्त्री नियुक्त करना, किन्तु यह पदच्युति और नियुक्ति स्थायीसमिति के विचाराधीन होगी।

(ङ) शारीरिक दृष्टि से असमर्थ अथवा श्रवण-शक्ति तथा क्षीण-दृष्टि के कारण श्रवण तथा पठनशक्ति में असमर्थ स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को तीन मास या एक मास का वेतन देकर अलग करना।

(च) जिन कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली के अनुसार नहीं हुई अथवा अवैध या अनधिकृत नियुक्ति हो, उन्हें एक मास का वेतन देकर अलग करना।

(छ) कार्यवाहक उपसभापति की सलाह से मन्त्रियों में यथायोग्य कार्यालय के कार्यदायित्व का वितरण करना।

(ज) आगामी वर्ष के लिए अनुमानपत्रक, वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व, स्थायीसमिति में प्रस्तुत करना।

(झ) सम्बद्ध संस्थाओं एवं प्रदेश सम्मेलन के उन्नयन का ध्यान रखते हुए उनके कार्यों का निरीक्षण करना और उन्हें उत्साहित करना।

(ञ) 'ख' ग्रेड में पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए कार्यालयीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पचास वर्ष की आयु होने पर किसी भी कर्मचारी को अलग किया जा सकता है।

प्रबन्धमंत्री

(क) कार्यालय के कार्यों का यथोचित प्रबन्ध, कर्मचारियों के कार्यों का वितरण तथा निरीक्षण करना।

(ख) प्रबन्ध-सम्बन्धी कागज (सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर), बही आदि रखना।

(ग) कार्यालय-सम्बन्धी सब निष्पन्न पत्रावली, बही आदि का रखना तथा समयानुसार उपस्थित करना।

(घ) प्रधानमन्त्री तथा अन्य किसी मन्त्री की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन करना।

(ङ) आगामी वर्ष के लिए अपने विभाग का अनुमानपत्र यथासमय अर्थमन्त्री को देना।

(च) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर सम्मेलन का वार्षिक-विवरण तैयारकर प्रधानमन्त्री को देना।

अर्थमन्त्री

(क) आय-व्यय का पूरा हिसाब रखना और स्थायीसमिति की बैठक में यथासमय उपस्थित करना।

(ख) आय का पूरा प्रबन्ध करना, उसकी वृद्धि हेतु उपाय करते रहना और रुपयों की वसूली की व्यवस्था उचित रीति से करते रहना।

(ग) अपने विभाग तथा अन्य विभागों का अनुमानपत्र प्रधानमन्त्री की सम्मति से तैयार कर उन्हें कार्यसमिति में प्रस्तुत करने के लिए यथासमय देना।

(घ) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण प्रधानमन्त्री को देना।

(ङ) गत-मास के आय-व्यय का ब्यौरा कार्यसमिति में प्रस्तुत करना।

(च) नवीन मद के व्यय हेतु कार्यसमिति की आज्ञा प्राप्त करना।

(छ) सम्मेलन के वार्षिक आय-व्यय की जाँच करवाकर सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन से एक मास पूर्व, प्रधानमन्त्री को देना।

परीक्षामन्त्री

(क) सम्मेलन के नियम ४ के अन्तर्गत उद्देश्य (घ) की पूर्ति के लिए उपाय तथा यथोचित व्यवस्था करना।

(ख) परीक्षाओं का प्रबन्ध करना तथा तत्सम्बन्धी अनियमितताओं एवं अव्यवस्था के निदान हेतु आवश्यक उपाय का सुझाव परीक्षासमिति में प्रस्तुत करना।

(ग) हिन्दी विद्वत्परिषद् एवं परीक्षासमिति की बैठकों के कार्यों का विवरण रखना।

(घ) सम्मेलन के सभापति से उपाधि आदि का वितरण कराना।

(ङ) यथासमय परीक्षा-सम्बन्धी सूचनाएँ प्रकाशित करते रहना।

(च) विवरण-पत्रिका का सम्पादन करना।

(छ) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने विभाग का अनुमानपत्र तैयार कर क्रमशः परीक्षासमिति तथा हिन्दी विद्वत्परिषद् में प्रस्तुत करना। तदनन्तर अर्थमन्त्री के पास प्रेषित करना।

(ज) परीक्षासमिति की साधारण बैठक में पिछले महीने का आय-व्यय प्रस्तुत करना।

(झ) हिन्दी विद्वत्परिषद् तथा उसकी परीक्षाओं को अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थान की भाँति सुसंगठित कर मान्यता दिलाना।

(ञ) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण प्रधानमन्त्री को देना।

प्रचारमन्त्री

(क) उपनियम ४६ (च) के अन्तर्गत उल्लिखित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य भागों में सम्मेलन के नियम ४ में वर्णित उद्देश्यों (क), (ख), (ग) की पूर्ति के लिए उपाय तथा यथोचित व्यवस्था करते रहना।

(ख) प्रचारसमिति की बैठकों के कार्य का विवरण रखना तथा उचित व्यवस्था करना।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रचार-कार्य की व्यवस्था तथा उसका निरीक्षण करना।

(घ) सम्बद्ध संस्थाओं की उन्नति का ध्यान रखते हुए उनके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें उत्साहित करना।

(ङ) आगामी वर्ष के लिए यथासमय अनुमानपत्र अर्थमन्त्री को देना।

(च) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण प्रधानमन्त्री को देना।

IndiaCode

राष्ट्रभाषा प्रचारमन्त्री

(क) नियम ४ के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्य (क), (ख), (ग) और (घ) की पूर्ति के लिए उपाय तथा यथोचित व्यवस्था करते रहना।

(ख) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बैठक के कार्य का विवरण रखना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए यथासमय अनुमानपत्र तैयार कर प्रधानमन्त्री को देना।

(घ) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण तैयार कर प्रधानमन्त्री को देना।

साहित्यमन्त्री

(क) नियम ४ के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्य (क) और (ख) की पूर्ति हेतु उपाय तथा यथोचित व्यवस्था करते रहना।

(ख) पुस्तकों के प्रणयन तथा प्रकाशन का समस्त प्रबन्ध करना।

(ग) बिक्री की पुस्तकों का हिसाब देखना तथा बिक्री का प्रबन्ध करना।

(घ) साहित्यसमिति की बैठकों के कार्य का विवरण रखना।

(ङ) आगामी वर्ष के लिए यथासमय अपने विभाग का अनुमानपत्र तैयार कर अर्थमन्त्री को देना।

(च) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण प्रधानमन्त्री को देना।

संग्रहमन्त्री

(क) सम्मेलन के नियम ४ के उद्देश्य (क), (ख), (ग) तथा (घ) की पूर्ति करना।

(ख) संग्रहालय का प्रबन्ध करना।

(ग) संग्रहसमिति की बैठकों के कार्य का विवरण रखना।

(घ) संग्रहालय में मुद्रित तथा अमुद्रित पुस्तक, शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्रा आदि का संकलन कर यथास्थान स्थापित करना।

(ङ) अवैतनिक तथा वैतनिक कार्यकर्ताओं द्वारा खोज तथा संकलन का कार्य कराते रहना।

(च) वाचनालय की व्यवस्था करना।

(छ) प्राप्त पुस्तकों तथा सामग्रियों की सूचना सर्वसाधारण में प्रसारित करते रहना।

(ज) आगामी वर्ष के लिए अपने विभाग का अनुमानपत्र तैयार कर यथासमय अर्थमन्त्री को देना।

(झ) वर्ष समाप्ति के एक मास के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण प्रधानमन्त्री को देना।

आय-व्यय निरीक्षक (लेखा संपरीक्षक)

(क) सम्मेलन-सम्बन्धी कार्यों के आय-व्यय का हिसाब रखने की प्रणाली निर्धारित करने में मन्त्रियों को सहायता देना।

(ख) सम्मेलन-सम्बन्धी आय-व्यय का हिसाब समय-समय पर जाँचते रहना। वर्ष समाप्ति के बाद पिछले वर्ष का हिसाब जाँचकर, अपनी आख्या सहित प्रधानमन्त्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

कार्यसमिति

१५. कार्यसमिति की बैठक साधारणतया दो मास में एक बार हुआ करेगी।

१६. स्थायीसमिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करना इस समिति का कर्तव्य होगा।

१७. कार्यसमिति की अनुमति के बिना अर्थमन्त्री नियमित व्यय के अतिरिक्त विशेष व्यय नहीं कर सकेंगे।

हिन्दी विद्वत्परिषद्

१८. सम्मेलन के नियम ४ के अन्तर्गत (क) और (घ) के उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए हिन्दी विद्वत्परिषद् होगी, जिसका संगठन प्रति पाँचवें वर्ष निम्न प्रकार होगा।

(क) सम्मेलन के सभापति, उपसभापति, प्रधानमन्त्री, परीक्षामन्त्री, साहित्यमन्त्री, प्रचारमन्त्री, प्रबन्धमन्त्री, संग्रहमन्त्री, अर्थमन्त्री एवं राष्ट्रभाषा प्रचारमन्त्री अपने पद के कारण सदस्य होंगे।

(ख) स्थायीसमिति द्वारा निर्वाचित २० सदस्य, जिनमें कम-से-कम १० सदस्य स्थायीसमिति के होंगे।

(ग) सम्मेलन के अधिकृत उपाधिधारियों द्वारा निर्वाचित ७ प्रतिनिधि।

(घ) सम्मेलन के केन्द्र-व्यवस्थापकों द्वारा निर्वाचित ७ प्रतिनिधि।

(ङ) सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षकों द्वारा निर्वाचित ७ प्रतिनिधि।

(च) ऐसी राष्ट्रीय संस्थाओं से एक-एक प्रतिनिधि, जिसको इस काम के लिए कार्यसमिति की संस्तुति पर स्थायीसमिति स्वीकार करे।

(छ) इनके अतिरिक्त इस प्रकार गठित परिषद् को ५ तक विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित करने का अधिकार होगा।

१९. हिन्दी विद्वत्परिषद् का मुख्य स्थान इलाहाबाद (प्रयाग) होगा।

२०. हिन्दी विद्वत्परिषद् की बैठक साधारणतया वर्ष में दो बार होगी, किन्तु परीक्षामन्त्री को आवश्यकता पड़ने पर अथवा हिन्दी विद्वत्परिषद् के ११ सदस्यों या परीक्षासमिति के ५ सदस्यों के अनुरोध पर हिन्दी विद्वत्परिषद् की विशेष बैठक करना आवश्यक होगा।

२१. हिन्दी विद्वत्परिषद् का कोरम ११ होगा।

२२. हिन्दी विद्वत्परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे।

(क) परीक्षासमिति का संगठन करना और उसके सम्बन्ध में उपनियम बनाना।

(ख) परीक्षाओं तथा उपाधियों का प्रतिष्ठापन करना तथा तत्सम्बन्धी नियम बनाना।

(ग) भिन्न-भिन्न विद्यालयों को सम्बद्ध करना।

(घ) परीक्षासमिति के कार्यों का निरीक्षण करना।

२३. सभी देश, जाति और अवस्थाओं के परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे।

२४. हिन्दी विद्वत्परिषद् की सभी परीक्षाओं में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का व्यवहार होगा।

२५. हिन्दी विद्वत्परिषद् को अधिकार होगा कि परीक्षाओं के सम्बन्ध में ऐसे उपनियम बनाये, जो उपर्युक्त नियमों के प्रतिकूल न हों। वे उपनियम बिना स्थायीसमिति की स्वीकृति के मान्य नहीं होंगे।

परीक्षासमिति

२६. हिन्दी विद्वत्परिषद् अपनी प्रथम बैठक में २१ सदस्यों की एक परीक्षासमिति का संगठन पाँच वर्ष के लिए निम्न प्रकार करेगा।

(क) सम्मेलन के सभापति, प्रधानमन्त्री, साहित्यमन्त्री, परीक्षामन्त्री तथा राष्ट्रभाषा प्रचारमन्त्री अपने पद के कारण सदस्य होंगे।

(ख) हिन्दी विद्वत्परिषद् द्वारा निर्वाचित १० प्रतिनिधि, जिनमें ४ उत्तरप्रदेश के तथा शेष अन्य प्रान्तों के होंगे।

२७. परीक्षासमिति की बैठक साधारणतया प्रति दूसरे महीने में हुआ करेगी, किन्तु यथावश्यकता परीक्षामन्त्री विशेष बैठक कर सकेंगे।

२८. परीक्षासमिति का कोरम ५ होगा।

२९. परीक्षासमिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे।

(क) परीक्षाओं के कार्यक्रम, परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा परिणामों का विवरण और परीक्षा-सम्बन्धी अन्य विषयों का प्रबन्ध स्वयं करना अथवा अपनी अधिकृत उपसमिति द्वारा करवाना।

(ख) हिन्दी विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों और मन्तव्यों को कार्यरूप में परिणत करना।

(ग) हिन्दी विद्वत्परिषद् को परीक्षाओं के लिए केन्द्र स्थापित करना तथा निरस्त करना।

साहित्यसमिति

३०. सम्मेलन के उद्देश्य ४ (क), (ख), (घ) की पूर्ति के लिए १८ सदस्यों की एक साहित्यसमिति होगी।

३१. सम्मेलन के सभापति, परिषदों के सभापति, प्रधानमन्त्री, प्रबन्धमन्त्री, संग्रहमन्त्री, परीक्षामन्त्री और साहित्यमन्त्री अपने पद के कारण सदस्य होंगे। शेष सात सदस्यों का निर्वाचन स्थायीसमिति करेगी।

३२. साहित्यसमिति का कोरम पाँच सदस्यों का होगा।

३३. सम्मेलन की ओर से एक शोधपत्रिका निकालने का आयोजन

करना इस समिति का एक कर्तव्य होगा। इस कार्य में यह समिति परीक्षासमिति की सम्मति और सहायता लेगी।

३४. साहित्यसमिति अथवा उसके द्वारा निर्मित उपसमिति की स्वीकृति के बिना सम्मेलन द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित न की जा सकेगी।

३५. साहित्यसमिति को अधिकार होगा कि यथावश्यकता ऐसे उपनियम बनाये, जो उपर्युक्त नियमों के प्रतिकूल न हों। ये उपनियम बिना स्थायीसमिति की स्वीकृति के मान्य नहीं होंगे।

प्रचारसमिति

३६. सम्मेलन के नियम ४ के अन्तर्गत उद्देश्य (क), (ख), (ग) की पूर्ति के लिए २१ सदस्यों की एक प्रचारसमिति होगी।

३७. सम्मेलन के सभापति, प्रधानमन्त्री, साहित्यमन्त्री, संग्रहमन्त्री, प्रचारमन्त्री तथा राष्ट्रभाषा प्रचारमन्त्री अपने पद के कारण इस समिति के सदस्य होंगे। शेष सदस्यों का निर्वाचन स्थायी-समिति करेगी।

३८. प्रचारसमिति का कोरम ५ सदस्यों का होगा।

३९. हिन्दीतर भाषाभाषी प्रान्तों में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए उचित साधनों का अवलम्बन कर प्रचार करना समिति का कर्तव्य होगा।

४०. प्रचारसमिति को कार्य की सुविधा और प्रचार की सुलभता के लिए भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कार्यालय खोलने का अधिकार होगा।

४१. प्रचारसमिति का अधिवेशन वर्ष में साधारणतया एक बार होगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अन्य ७ सदस्यों के

आवेदनपत्र पर प्रचारमन्त्री के लिए यह आवश्यक होगा कि अधिक बार समिति का अधिवेशन करें।

संग्रहसमिति

४२. सम्मेलन के उद्देश्य ४ (क), (ख), (ग) तथा (घ) की पूर्ति के लिए २१ सदस्यों की एक संग्रहसमिति होगी।

४३. सम्मेलन के सभापति, प्रधानमन्त्री, परीक्षामन्त्री, प्रबन्धमन्त्री, साहित्यमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा संग्रहमन्त्री अपने पद के कारण इस समिति के सदस्य होंगे। शेष सदस्य का निर्वाचन स्थायीसमिति करेगी।

४४. संग्रहसमिति का कोरम ५ सदस्यों का होगा।

४५. इस समिति को अधिकार होगा कि संग्रहालय तथा वाचनालय के सम्बन्ध में ऐसे उपनियम बनाये, जो सम्मेलन के नियमों के प्रतिकूल न हों। उपनियम बिना स्थायीसमिति की स्वीकृति के मान्य नहीं होंगे।

राष्ट्रभाषा प्रचारसमिति

४६. सम्मेलन के नियम ४ के अन्तर्गत उद्देश्य (क), (ग) की पूर्ति के लिए ३५ सदस्यों की एक राष्ट्रभाषा प्रचारसमिति होगी।

(क) सम्मेलन के सभापति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सभापति, कार्यवाहक उपसभापति, प्रधानमन्त्री, प्रबन्धमन्त्री, परीक्षामन्त्री तथा प्रचारमन्त्री अपने पद के कारण इस समिति के सदस्य होंगे। शेष सदस्यों में ९ स्थायीसमिति द्वारा तथा ११ प्रतिनिधि प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार-समितियों द्वारा निर्वाचित होंगे, जिनकी संख्या निम्न प्रकार होगी— आसाम–२, पश्चिम बंगाल–२, उड़ीसा–२, गुजरात–३, मुम्बई–२, महाराष्ट्र–३, विदर्भ–नागपुर–२, हैदराबाद–२।

(ख) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा का अध्यक्ष, सम्मेलन का उपसभापति होगा और उसे उपसभापति पद के वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो सम्मेलन के उपसभापति को नियमानुकूल प्राप्त हैं।

(ग) इस समिति को अधिकार होगा कि अपने सदस्यों में से अपना मन्त्री चुन ले। यही मन्त्री सम्मेलन का राष्ट्रभाषा प्रचारमन्त्री कहलायेगा।

(घ) इस समिति की बैठक साधारणतया इलाहाबाद (प्रयाग) अथवा वर्धा में होगी, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान में भी हो सकेगी।

(ङ) इस समिति का कोरम ७ सदस्यों का होगा।

(च) आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मुम्बई, महाराष्ट्र, विदर्भ- नागपुर, हैदराबाद और दक्षिणभारत के प्रान्तों में तथा भारत के बाहर विदेशों में किस रूप में और किस भाँति राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य किया जाय, इसका निर्णय समिति के अधीन होगा।

(छ) इस समिति को अधिकार होगा कि राष्ट्रभाषा-प्रचार के सम्बन्ध में ऐसे उपनियम बनाये, जो उपर्युक्त नियमों के प्रतिकूल न हों। ये उपनियम बिना स्थायीसमिति की स्वीकृति के मान्य नहीं होंगे।

मुद्रणालय-समिति

४७. (क) मुद्रणालय के संचालन के लिए एक समिति होगी।

(ख) सम्मेलन के समस्त पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे तथा एक सदस्य का निर्वाचन स्थायीसमिति करेगी, जो मुद्रणालय के कार्यों का विशेषज्ञ होगा।

(ग) मुद्रणालय के सुचारु रूप से संचालन के लिए इस समिति को अधिकार होगा कि मुद्रणालय-सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण करे तथा ऐसे उपनियम बनाये, जो सम्मेलन के नियमों के प्रतिकूल न हों। ये उपनियम स्थायीसमिति की स्वीकृति के बिना मान्य न होंगे।

सम्मेलन का अधिवेशन

४८. (क) यदि किसी कारण से सम्मेलन के पंचवार्षिक अधिवेशन के स्थल अथवा तिथियों में परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो इसका निर्णय स्थायीसमिति करेगी।

(ग) स्वागत-समिति अधिवेशन का स्थान, समय, कार्यक्रम तथा विषय-सूची आदि का निर्धारण स्थायीसमिति की सम्मति से करेगी।

४९. यदि किसी वर्ष किसी विशेष परिस्थिति में स्थायीसमिति को स्वयं अधिवेशन का प्रबन्ध करना पड़े और यदि स्वागत-समिति का गठन न हो सके, तो उस वर्ष स्थायीसमिति ही स्वागत-समिति समझी जायेगी। स्थायीसमिति को अधिकार होगा कि अपने मुख्य स्थान अथवा किसी अन्य स्थान पर सम्मेलन का अधिवेशन करे।

स्वागत-समिति

५०. स्वागत-समिति के अध्यक्ष अथवा मन्त्री का कर्तव्य होगा कि स्वागत-समिति के गठन की सूचना सम्मेलन के प्रधानमन्त्री को तुरन्त दे दें।

५१. स्वागत-समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि अधिवेशन के समय से पूर्व समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित कर, सम्मति एवं सुझाव आमन्त्रित करे और उपलब्ध सम्मतियों के आधार पर स्थायीसमिति

की स्वीकृत से विषय-सूची तैयार करे। स्थायीसमिति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे लेखों तथा अधिवेशन के कार्यविवरण को मुद्रित कराकर प्रकाशित करे। एतदर्थ स्वागत-समिति आवश्यक व्ययादि अधिवेशन समाप्त होते ही दे देगी।

५२. स्वागत-समिति के अध्यक्ष अथवा मन्त्री का कर्तव्य होगा कि अधिवेशन समाप्ति के एक मास के भीतर तत्सम्बन्धी समस्त कागज-पत्र, बही इत्यादि सम्मेलन-कार्यालय में भेज दें।

५३. स्वागत-समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह प्रतिनिधियों के आवास एवं भोजनादि की उचित व्यवस्था करे। एतदर्थ वह विशेष अवदान ले सकेगी, जो किसी भी दशा में दस रुपया प्रतिदिन से अधिक न होगा। किन्तु प्रत्येक प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह भोजनादि की व्यवस्था स्वयं कर लें।

अस्थायी कार्यालय

५४. अधिवेशन प्रारम्भ होने से कम-से-कम दो दिन पूर्व सम्मेलन का एक अस्थायी कार्यालय उस स्थान पर खोला जायेगा, जहाँ वह अधिवेशन होनेवाला है।

कार्यविवरण पाने का अधिकार

५५. प्रत्येक ऐसे प्रतिनिधि को, जिनका नियम ३८ के अनुसार शुल्क प्राप्त हो गया है, अधिवेशन का सम्पूर्ण कार्यविवरण प्रकाशित होने पर निःशुल्क दिया जायेगा। अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार होगा कि निर्धारित शुल्क देकर अधिवेशन का कार्यविवरण कार्यालय से प्राप्त कर लें।

सम्मेलन की सम्पत्ति और स्थायी कोष

५६. यदि कोई प्रधानमन्त्री और अर्थमन्त्री स्थायी कोष का धन सम्मेलन

IndiaCode

के अधिवेशन की स्वीकृति के बिना व्यय कर दें अथवा इसी तरह किसी विशेष कार्य के लिए पृथक् किया हुआ धन, जिस कार्य के लिए वह पृथक् किया गया या दाता द्वारा दिया गया हो, उसके अतिरिक्त अन्य कार्य में व्यय कर दें, तो प्रधानमन्त्री और अर्थमन्त्री उस द्रव्य के लिए व्यक्तिगत देनदार होंगे और सम्मेलन को अधिकार होगा कि वह आवश्यक समझे, तो अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री की चल तथा अचल सम्पत्ति से उस धन को वसूल कर ले।

कार्यविवरण का प्रकाशन

५७. स्थायीसमिति और कार्यसमिति को अधिकार होगा कि अपने कार्यविवरण का कोई अंश सम्मेलन के हित की दृष्टि से गुप्त रखे और उसे प्रकाशित न करे।

अनुशासन

५८. सम्मेलन के सभी प्रकार के सदस्य सम्मेलन के कार्य-कलापों अथवा पदाधिकारियों के कार्यों के विषय में तथा सम्मेलन से सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकरण में कोई शिकायत कार्यालय को भेजेंगे, तो कार्यालय उस शिकायत को प्रधानमन्त्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रधानमन्त्री का कर्तव्य होगा कि यथास्थिति इस विषय को कार्यसमिति अथवा स्थायीसमिति में प्रस्तुत करें। 'समिति' एतदर्थ तीन सदस्यीय एक जाँच समिति नियुक्त करेगी और उसके प्रतिवेदन को स्थायीसमिति के समक्ष रखकर शिकायतकर्ता को निर्णय की सूचना देगी। इस प्रक्रिया के पहिले कोई भी सदस्य सीधा न्यायालय में कोई वाद न प्रस्तुत कर सकेगा।

५९. सम्मेलन के वैतनिक कर्मचारियों के विषय में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि वह—

(क) किसी राजनैतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य अथवा अधिकारी न होगा।

(ख) सम्मेलन का कोई वेतनभोगी कर्मचारी संसद्, राज्यसभा, विधानपरिषद्, विधानसभा, जिलापरिषद्, नगरपालिका तथा ग्रामसभा आदि में किसी पद के लिए प्रधानमन्त्री की लिखित आज्ञा लिये बिना चुनाव में प्रत्याशी न होगा। बिना अनुमति प्रत्याशी होने पर नामांकन-पत्र दाखिल करने की तिथि से उसे सम्मेलन की सेवा से कार्यमुक्त समझा जायेगा और प्रधानमन्त्री तत्काल इस सम्बन्ध में आदेश पारित कर देंगे।

(ग) यदि सम्मेलन के किसी वेतनभोगी कर्मचारी को अपनी सेवा-शर्तों, किसी प्रकार से दण्डित किये जाने के विरुद्ध कोई शिकायत है, तो कर्मचारी उस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देगा। प्रधानमन्त्री स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर जाँच-पड़ताल करवा लेंगे और आवश्यक आदेश पारित कर देंगे। प्रधानमन्त्री के आदेश से सन्तुष्ट न होने पर कर्मचारी सम्मेलन की कार्यकारिणी को अपील कर सकेगा। कार्यकारिणी स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति द्वारा अपील की सुनवाई करके आवश्यक आदेश पारित कर देगी। ऐसी उपसमिति द्वारा पारित आदेश कार्यकारिणी का आदेश माना जायेगा।

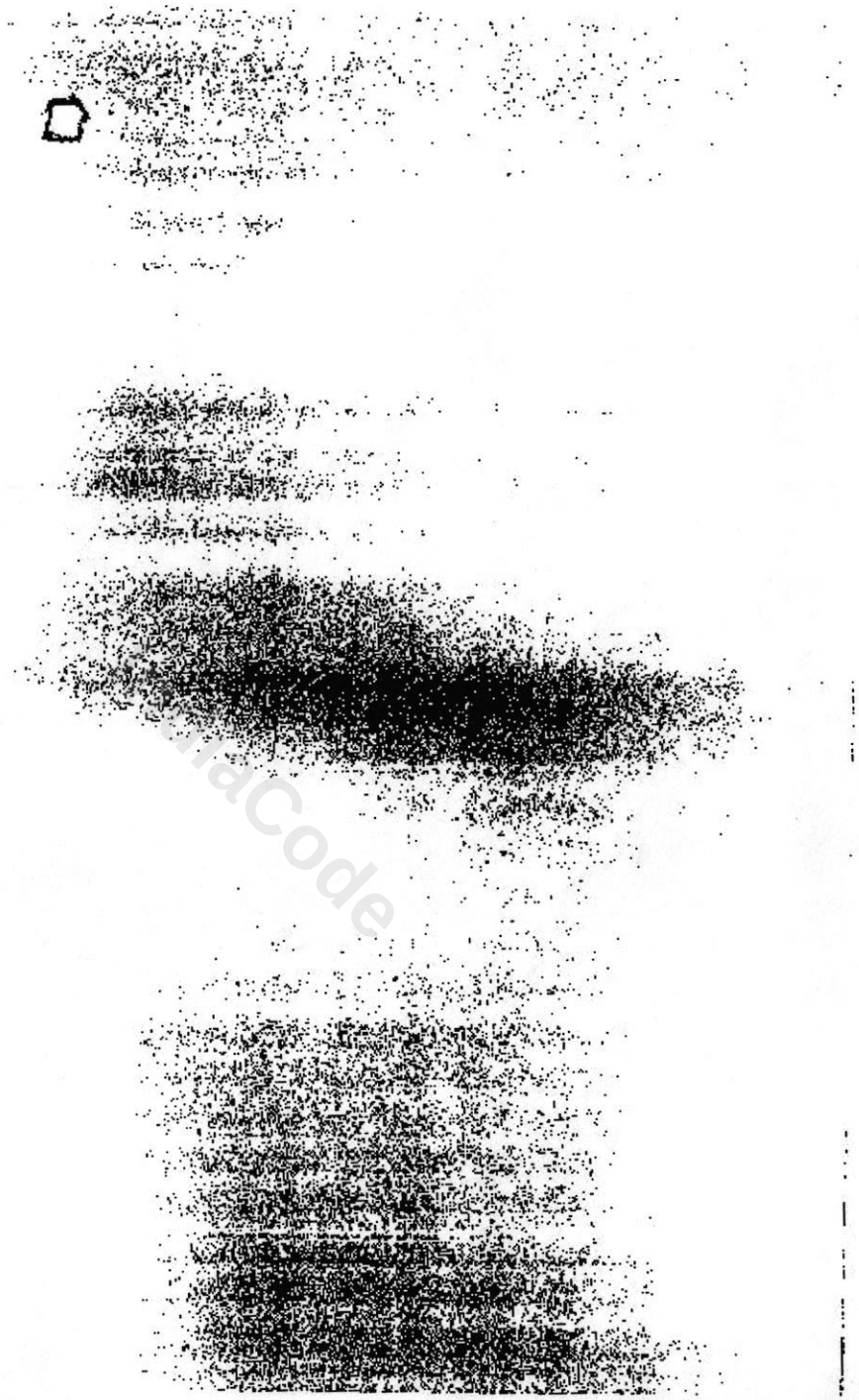
सम्मेलन का कोई वैतनिक कर्मचारी उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाये बिना सम्मेलन या उपसमिति के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद न दाखिल कर सकेगा। इस प्रक्रिया को अपनाये बिना न्यायालय में वाद दाखिल करना दण्डनीय अपराध होगा और ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

६०. यदि किसी विशेष अवस्था पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सम्मेलन की सर्वोच्च मानद उपाधि 'साहित्यवाचस्पति' प्रदान करना पड़े, तो सम्मेलन के प्रधानमन्त्री कार्यसमिति की बैठक करके प्रदान कर सकेंगे, किन्तु इसकी सूचना स्थायीसमिति को आगामी बैठक में अवश्य दे देंगे।

विघटन

६१. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

●



IndiaCode

सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग
१३, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद-३